



CSR: मात्र अनुपालन से प्रभाव तक

यह संपादकीय 24/10/2024 को दृष्टि बिज़नेस लाइन में प्रकाशित "Why reforms in the CSR ecosystem are needed" पर आधारित है। यह लेख भारत में वार्षिक CSR निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो वर्ष 2014 में अधिदेश के बाद से अब तक ₹30,000 करोड़ हो गया है। हालाँकि असमान शक्ति संबंध, कार्यान्वयन की सीमिति समय-सीमा और बचौलियों पर निर्भरता जैसी चुनौतियाँ सार्थक दीर्घकालिक प्रभाव की प्राप्ति में बाधा डालती हैं।

प्रलिस के लिये:

[कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व](#), [कंपनी अधिनियम, 2013](#), [संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य](#), [कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय](#), [गरीबी में कमी](#), [ग्रामीण विकास कार्यक्रम](#), [गैर-सरकारी संगठन](#), [आकांक्षी ज़िले](#)

मेन्स के लिये:

भारत में CSR गतिविधियों का महत्त्व, भारत में CSR से संबंधित प्रमुख मुद्दे।


भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व](#) संबंधी कानून पारित करने के दस वर्ष बाद, देश का वार्षिक CSR निवेश बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।

जबकि [विधिके अनुसार](#) पात्र कंपनियों को अपने मुनाफे का 2% सामाजिक प्रयोजनों (धर्मार्थ कार्यों) पर व्यय करना आवश्यक है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। नगिर्मों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच असमान शक्ति गतिशीलता, [कार्यान्वयन की सीमिति समय-सीमा तथा बचौलियों पर अत्यधिक निर्भरता](#) प्रायः सार्थक दीर्घकालिक प्रभाव में बाधा डालती है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है?

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के संदर्भ में:** [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व \(CSR\)](#) एक व्यवसाय मॉडल है, जहाँ कंपनियाँ स्वच्छता से सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक विचारों को अपने परिचालन एवं हितधारकों के साथ समन्वय में एकीकृत करती हैं।
 - **CSR का उद्देश्य व्यवसायों को सरिफ लाभ से आगे बढ़कर** समाज पर उनके प्रभाव के लिये जवाबदेह बनाना है तथा सतत विकास, सामुदायिक कल्याण और नैतिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत CSR:**
 - [कंपनी अधिनियम, 2013](#) की धारा 135 के अंतर्गत CSR प्रावधान 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हो गए।
 - ये प्रावधान सामाजिक, पर्यावरणीय और मानव विकास के लिये कॉर्पोरेट योगदान को अनिवार्य बनाकर **समावेशी विकास** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- **CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष में नमिनलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हैं:**
 - कुल संपत्ति: 5 अरब रुपए से अधिक।
 - कारोबार: 10 अरब रुपए से अधिक।
 - शुद्ध लाभ: 50 मिलियन रुपए से अधिक।
 - ऐसी कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्षों के नविल लाभ का न्यूनतम 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होगा।
- **CSR दिशा-निर्देशों की उत्पत्ति और विकास:**
 - [कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय \(MCA\)](#) ने [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर स्वच्छता दिशा-निर्देश, 2009](#) के साथ CSR अवधारणाओं की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ज़िम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को मुख्यधारा में लाना है।
 - ये दिशा-निर्देश व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक ज़िम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वच्छता दिशा-निर्देश (NVG), 2011 में विकसित हुए, जिसमें कॉर्पोरेट ज़िम्मेदारी के लिये प्रमुख सदिधांतों को रेखांकित किया गया।
 - मार्च 2019 में, NVG को ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (NGRBC) में अद्यतन किया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों को शामिल किया गया, जैसे कि [व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सदिधांत \(UNGP\)](#), [संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य \(SDG\)](#) और [पेरिस समझौता](#)।

Key Milestones in Corporate Social Responsibility



भारत में CSR गतिविधियों का क्या महत्त्व है?

- **गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास:** CSR पहल [गरीबी उन्मूलन](#) और [ग्रामीण विकास कार्यक्रमों](#) का समर्थन करने में सहायक होती है, जो प्रायः शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करती है।
 - उदाहरण के लिये, [ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर 12,300 करोड़ रुपए](#) से अधिक व्यय किये गए, जिसका सीधा असर गरीबी से त्रस्त समुदायों पर पड़ा।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार:** ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढाँचा अभी भी विकसित हो रहा है, ऐसे में CSR गतिविधियाँ अस्पतालों, मोबाइल क्लिनिकों तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को वित्तपोषित करके इस अंतराल को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करती हैं।
 - रलियांस एवं इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने [कोवडि-19 राहत प्रयासों](#) में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, पूरे भारत में [ऑक्सीजन संयंत्र स्थापति किये](#) हैं और टीकाकरण के लिये धन मुहैया कराया है।
 - वित्त वर्ष 2022 में [स्वास्थ्य पर व्यय ₹7731 करोड़](#) रहा, जो CSR फंडिंग के लिये इस क्षेत्र की प्राथमिकता को रेखांकित करता है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई:** CSR पहल [वनरोपण](#), [जल संरक्षण](#) और [सूक्ष्म ऊर्जा परियोजनाओं](#) सहित स्थिरता प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है।
 - [ITC लमिटिड का '2020-2025' जल संरक्षण पर काम करता है](#), जिससे जल संकट वाले क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को लाभ मिलता है।
 - वित्त वर्ष 2022 में, पर्यावरण और स्थिरता पर [भारत का CSR व्यय](#) दोगुना से अधिक होकर [₹2,392 करोड़](#) हो गया, जिससे यह क्षेत्र स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बाद इस तरह के फंड का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया।
- **शैक्षिक अवसर और कौशल विकास:** शिक्षा और कौशल विकास CSR के आवश्यक क्षेत्र हैं, जहाँ कई कंपनियाँ रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के

- **असमान भौगोलिक वितरण** CSR व्यय मुख्य रूप से विकसित राज्यों और शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित रहता है।
 - वर्ष 2023 के आँकड़ों के अनुसार, **महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को कुल CSR फंड का बड़ा हिस्सा** प्राप्त हुआ।
 - इसके विपरीत, सभी **पूर्वोत्तर राज्यों** को सामूहिक रूप से **CSR नधिका 1% से भी कम** प्राप्त होता है।
 - सरकार द्वारा **आकांक्षी जिलों में CSR निवेश द्वारा समर्थन** करने के बावजूद, वर्ष 2014-22 के दौरान **कुल CSR का केवल 2.15%** ही इन जिलों में निवेश किया गया है।
 - यह भौगोलिक वषमता क्षेत्रीय विकास असमानताओं को कायम रखती है, जो CSR के मूल उद्देश्य के विपरीत है।
- **नगिरानी एवं मूलयांकन चुनौतियाँ:** वर्तमान M&E फ्रेमवर्क गुणात्मक प्रभाव आकलन की तुलना में मात्रात्मक मेट्रिक्स पर बल देता है।
 - **तृतीय-पक्ष मूलयांकन** एजेंसियों में प्रायः मानकीकृत मूलयांकन पद्धतियों का अभाव होता है।
 - मानकीकृत प्रभाव मापन मीट्रिक्स की कमी से रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में भिन्नता आती है। इससे पारदर्शिता प्रभावित होती है और परियोजनाओं के बीच तुलना करना मुश्किल हो जाता है।
- **NGO भागीदारी मुद्दे:** कॉर्पोरेट दानदाताओं और कार्यान्वयन करने वाले NGO के बीच संपर्क का अभाव परिचालन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
 - इसके अलावा, CSR प्रतबिधताओं की अल्पकालिक प्रकृति **NGO** में कुशल कर्मचारियों को बनाए रखने और दीर्घकालिक हस्तक्षेप की योजना बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है।
 - CSR फंड **वैधानिक तौर पर NGO रज़िस्ट्रव का समर्थन नहीं** कर सकते हैं, बल्कि केवल अप्रत्यक्ष लागतों को ही शामिल कर सकते हैं।
 - इसके अलावा, CSR कार्यान्वयन में मध्यस्थ एजेंसियों की बढ़ती भूमिका दक्षता और पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करती है।
- **प्रभाव से अधिक अनुपालन:** कई कंपनियाँ CSR को रणनीतिक सामाजिक निवेश के बजाय अनिवार्य अनुपालन मानती हैं।
 - नवीन समाधानों की अपेक्षा **सुरक्षति, स्थापित परियोजनाओं को प्राथमिकता** देने की प्रवृत्ति, जिसमें नवीन उपागम या जोखिम उठाने वाली CSR परियोजनाओं का एक छोटा हिस्सा शामिल है।
 - यह **अनुपालन-केंद्रित उपागम** CSR के परिवर्तनकारी सामाजिक प्रभाव की क्षमता को सीमित करता है।

भारत में CSR की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **रणनीतिक दीर्घकालिक योजना फ्रेमवर्क:** CSR परियोजनाओं को वार्षिक चक्र से अनिवार्य 3-5 वर्ष की प्रतबिधताओं में बदलना होगा, ताकि सतत प्रभाव और उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
 - इस फ्रेमवर्क में **तमिही आधार पर नधि जारी करने के साथ रोलिंग बजट शामिल** होना चाहिये, जिससे वर्ष के अंत में होने वाली भागदौड़ को रोका जा सके और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।
 - एक व्यापक डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत किया जाना चाहिये जो रियल टाइम उपलब्धि और प्रभाव मीट्रिक्स पर नज़र रखे।
 - संगठनों को परभाषित परिणामों और स्थिरता उपायों के साथ **स्पष्ट चरणबद्ध कार्यान्वयन योजनाएँ** स्थापित करनी चाहिये।
 - इस फ्रेमवर्क में नियमित समीक्षा तंत्र, पाठ्यक्रम सुधार प्रोटोकॉल और सामुदायिक आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के साथ संरेखित स्पष्ट निकास रणनीतियाँ शामिल होनी चाहिये।
 - यह उपागम **TATA के ग्राम विकास कार्यक्रम** द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।
- **डिजिटल एकीकरण और स्मार्ट नगिरानी प्रणाली:** सभी हतिधारकों- **कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों, लाभार्थियों और सरकारी एजेंसियों** को सगिल इंटरफेस के माध्यम से जोड़ने वाले एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन।
 - प्रणाली में पारदर्शी नधि ट्रैकिंग के लिये **ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी** और रियल टाइम प्रभाव आकलन के लिये AI-संचालित विश्लेषण को शामिल किया जाना चाहिये।
 - **स्वचालित रिपोर्टिंग प्रणालियों** को मानकीकृत प्रभाव रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये जिससे मैन्युअल दस्तावेज़ीकरण का बोझ कम हो।
 - इस डिजिटल पारस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता के लिये **लाभार्थी फीडबैक तंत्र** और **सार्वजनिक डैशबोर्ड शामिल होना चाहिये।**
- **व्यावसायिक प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण:** क्षेत्र के विशेषज्ञों के नेतृत्व में **समर्पित CSR विभाग** स्थापित करना तथा **डोमेन विशेषज्ञता वाले पेशेवर परियोजना प्रबंधकों** द्वारा समर्थित होना आवश्यक है।
 - **परियोजना प्रबंधन, वित्तीय नयोजन और प्रभाव आकलन प्रशिक्षण** सहित कार्यान्वयन भागीदारों के लिये व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाए जाने चाहिये।
 - CSR पेशेवरों के लिये मानकीकृत प्रमाणन कार्यक्रम विकसित करना तथा इस क्षेत्र में स्पष्ट कैरियर प्रगतिपथ स्थापित करना आवश्यक है।
 - अनुभवी संगठनों को नई संस्थाओं से जोड़ने के लिये नियमित **ज्ञान-साझाकरण मंच और मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित** करना आवश्यक है।
- **सहयोगात्मक कार्यान्वयन मॉडल:** क्षेत्र-वशिष्ट CSR संघों का गठन करना चाहिये, जहाँ कंपनियों को **प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप के लिये संसाधन और विशेषज्ञता** होती है।
 - साझा अवसंरचना और संसाधनों की स्थापना, ऊपरी लागत में कमी तथा पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से दक्षता में सुधार की आवश्यकता है।
 - **वभिन्न संगठनों में समान परियोजनाओं के लिये मानकीकृत कार्यान्वयन प्रोटोकॉल** और प्रभाव मापन ढांचे बनाए जाने की आवश्यकता है।
 - सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों को साझा करने के लिये संयुक्त नगिरानी तंत्र तथा शक्ति मंच विकसित करने की आवश्यकता है।
- **भौगोलिक एकीकरण और सामुदायिक स्वामित्व:** अव्यवस्थित हस्तक्षेपों के बजाय वशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के व्यापक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए **क्लस्टर-आधारित विकास दृष्टिकोण** को लागू करना आवश्यक है।
 - कॉर्पोरेट पहलों को स्थानीय विकास योजनाओं और सरकारी योजनाओं के साथ संरेखित करते हुए **ज़िला-स्तरीय CSR समन्वय प्रकोष्ठों**

की स्थापना करना आवश्यक है।

◦ वास्तविक निर्णय लेने की शक्तियों और संसाधन नियंत्रण के साथ सामुदायिक नगिरानी समितियों बनाने की आवश्यकता है।

◦ **भागीदारी नियोजन तंत्र** विकसित करना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सामुदायिक प्राथमिकताएँ परियोजना डिज़ाइन और कार्यान्वयन को संचालित करें।

■ **प्रभाव मापन एवं स्थिरता फ्रेमवर्क: सामाजिक परिवर्तन के गुणात्मक आकलन के साथ मात्रात्मक मीट्रिक्स को मिलाकर व्यापक प्रभाव मापन प्रणालियाँ बनाए जाने की आवश्यकता है।**

◦ समान परियोजनाओं में मानकीकृत उपकरणों का उपयोग करके **आधारभूत अध्ययन और नियमित प्रभाव ऑडिट** स्थापित करना चाहिये।

◦ **CSR पहलों को जलवायु अनुकूलता में योगदान सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रोटोकॉल** विकसित करने चाहिये। सामुदायिक क्षमताओं और सामाजिक संकेतकों में परिवर्तन का आकलन के लिये दीर्घकालिक प्रभाव ट्रैकिंग तंत्र बनाए जाएँ।

■ **भौगोलिक फोकस और क्लस्टर विकास: विशिष्ट क्षेत्रों के व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्लस्टर आधारित उपागम अपनाना चाहिये।**

◦ **सरकार के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम** के अनुरूप क्षेत्रीय CSR केंद्रों का निर्माण करना आवश्यक है।

◦ परियोजना प्रबंधन के लिये **हब-एंड-स्पोक मॉडल** लागू करने की आवश्यकता है।

नष्कर्ष:

CSR के प्रभाव को बढ़ाने के लिये भारत को दीर्घकालिक योजना, **डिजिटल एकीकरण, पेशेवर प्रबंधन, सहयोगात्मक कार्यान्वयन, भौगोलिक फोकस** और सुदृढ़ प्रभाव आकलन की आवश्यकता है। इन मुद्दों को हल करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि CSR सतत विकास में सार्थक योगदान दे।

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

प्रश्न. भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्त्व का परीक्षण कीजिये। CSR पहलों को क्रियान्वित करने में कंपनियों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान कीजिये और उनकी प्रभावशीलता तथा सामाजिक प्रभाव को बेहतर बनाने के लिये रणनीतियाँ प्रस्तावित कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

Q. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कंपनियों को अधिक लाभदायक तथा चरिस्थायी बनाता है। विश्लेषण कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/csr-from-mere-compliance-to-impact>